झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० 1580 of 2023

---

1. मधुर मोहन भोटिका, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता भगवान भोटिका।
2. भावना भोटिका उर्फ भावना भोटिका, उम्र लगभग 50 वर्ष, पति मधुर मोहन भोटिका, दोनों निवासी ग्राम- कमलडीह, डाकघर+थाना -चास, जिला-बोकारो।
3. गजानंद सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता भोला सिंह, निवासी - मकान नं- 173, यश मेंशन, तारा नगर, डाकघर+थाना -चास, जिला-बोकारो।

.....याचिकाकर्ता

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बोकारो, बोकारो वन प्रभाग, बोकारो, डाकघर+थाना - चास, जिला- बोकारो। ..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री रमा कांत तिवारी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : सुश्री वंदना भारती, अपर पी.पी.

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया ।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए सी० पी० मामला संख्या 744/2021 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 02.11.2021 का संज्ञान लेने का आदेश भी शामिल है, जिसके तहत और जहां याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 33, 63 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह है कि 07.08.2021 को टेलीफोन पर बातचीत प्राप्त होने पर वन अधिकारी होमगार्ड जवानों और अमीन के साथ घटनास्थल पर गए और प्लॉट नंबर 370 पर निर्माण को ध्वस्त कर दिया और प्लॉट नंबर 370 वाली वन भूमि पर अतिक्रमण करने पर

निर्माण के लिए प्रयुक्त वस्तुओं को जब्त कर लिया, जो एक अधिसूचित संरक्षित वन भूमि है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री रमा कांत तिवारी ने प्रस्तुत किया कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 33 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि प्लॉट नंबर 370 एक रैयती जमीन है जिसे याचिकाकर्ताओं ने पंजीकृत बिक्री-पत्र संख्या 7670/7104 दिनांक 24.09.2009 के तहत खरीदा है और इसके परिणामस्वरूप, उक्त जमीन याचिकाकर्ताओं के नाम पर म्यूटेशन हो गई है और वे नियमित रूप से राज्य को किराया दे रहे हैं। फिर यह प्रस्तुत किया गया कि वन विभाग द्वारा दर्ज किए गए इसी तरह के पहले के मामलों को इस न्यायालय के समन्वय पीठों द्वारा आपराधिक विविध याचिका संख्या 479/2009 और आपराधिक विविध याचिका संख्या 1165/2009 में रद्द कर दिया गया है। फिर यह प्रस्तुत किया गया कि आपराधिक विविध याचिका 2003 के सी.आर.पी.सी संख्या 771 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 16.02.2005 के आदेश में कहा है कि प्लॉट संख्या 370 के संबंध में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त के अलावा, सी.आर.पी.सी संख्या 563/2018 दिनांक 12.07.2019 में भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पैरा-7 में इस प्रकार टिप्पणी करते हुए प्लॉट संख्या 370 के संबंध में मामले से संबंधित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और अलग रखा:-

> "7. सुना गया। वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बंदोबस्त वाद संख्या 55/1963-64 में पारित दिनांक 28.11.1964 के आदेश तथा दस्तावेजों और टाइटल सूट संख्या 33/2000 तथा टाइटल अपील संख्या 17/2012 में पारित निर्णय और डिक्री के मद्देनजर यह पूरी तरह स्पष्ट है कि प्लॉट संख्या 370 याचिकाकर्ताओं की रैयती भूमि है। यह संरक्षित वन भूमि नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध निर्विवाद दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, मेरी सुविचारित राय में, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बोकारो के न्यायालय में लंबित शिकायत वाद संख्या 1160/2017 के संबंध में आगे की कार्यवाही जारी रखना निरर्थक होगा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

5. अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 02.11.2021 के संज्ञान आदेश सहित सी.पी. मामला संख्या 744/2021 की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बोकारो की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन इस बात पर विवाद नहीं किया है कि इस मामले में शामिल प्लॉट संख्या 370 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और संज्ञान लेने के आदेश को इस न्यायालय के समन्वय पीठों द्वारा कई मामलों में रद्द कर दिया गया है।

7. बार में प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण को सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध याचिका संख्या 563/2018 में कहा है कि प्लॉट संख्या 370 याचिकाकर्ताओं की रैयती भूमि है और यह संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि नहीं है।

8. मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इस प्रकार, न्याय के उद्देश्य से, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बोकारो द्वारा पारित दिनांक 02.11.2021 के संज्ञान आदेश सहित सी.पी. केस संख्या 744/2021 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है और उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अलग रखा जाता है।

9. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकृत हो जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची
दिनांकित -11 मार्च, 2024
AFR/ Animesh

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।